न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 22/2016 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

रामसिंह दत्तक पुत्र कल्याण सिंह, जाति राजपूत, निवासी राजपुरा, जिला सीकर (राज.)।
अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
1. श्री पोकरमल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्रीमती सुनिता शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.03.2016 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः22 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय विरूद्व पत्रावली एवं रूएदाद मिसल पारित कर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। पत्रावली पर आई हुई साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत पारित किया गया है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी तरह का विश्लेषण नहीं किया है और न ही कारण प्रदर्शित किया है इसके अतिरिक्त जुडिसियल माईन्ड भी अप्लाई नहीं किया है तथा निर्णय राजनीति से प्रभावित होकर पारित किया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो तथ्यात्मक परिस्थितियों का उल्लेख किया है और न ही कोई तकनीकी बिन्दुओं की ही विवेचना की है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार केवल तथाकथित जांच को बनाया है जिसमें कोई भी पुष्टि बिन्दु नहीं है और न ही अपीलान्ट पक्ष को अपना सबूत रखने का अवसर प्रदान किया है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक सीकर को ही निर्णय का आधार बनाया है। जिसमें सत्यापन के वक्त 23 लीटर केरोसीन कम पाया जाना बताया गया है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन नहीं पाया जाना बताया है। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करना बताया गया है। उक्त तीनों ही आरोप निराधार हैं जो कि जुबानी आरोप हैं। केरोसीन पूरा था जिसको नापा भी नहीं गया है और ड्रम को देखकर मौके पर सही माना गया था। उसके पश्चात यह मनगढ़न्त आरोप राजनीति के दबाव में लगाया गया है।

(6) ग्राम पंचायत के सरपंच डीलर/प्रार्थी से राजनैतिक द्वेषता रखते हैं, जिन्होनें ही यह झूठे आधार राजनैतिक रूप से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तैयार करवाये हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक **23.03.2016** को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्रीमती सुनिता शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित आई।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो तथ्यात्मक परिस्थितियों का उल्लेख किया है और न ही कोई तकनीकी बिन्दुओं की ही विवेचना की है। सत्यापन के वक्त 23 लीटर केरोसीन कम पाया जाना बताया गया है। मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन नहीं पाया जाना बताया है। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करना बताया गया है। उक्त आदेश राजजैतिक प्रभाव में आकर पारित किया गया है जो निराधार हैं और जुबानी आरोप हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **22.03.2016** निरस्त फरमाया जावे।

5. प्रवर्तन निरीक्षक का कथन है कि जिला कलक्टर महोदय के आदेश पर डीलर के विरूद्व भारी शिकायत होने पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं जांच हेतु गये थे। दौराने जांच डीलर द्वारा **4** स्टॉक रजिस्टर पेश किये लेकिन वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये। बिल संख्या 5545 व 5546 दिनांक 29.10.2015 का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं पाया गया। जिसके अनुसार डीलर के पास 2773 लीटर केरोसीन होना चाहिए। जबकि उपलब्ध ड्रम में केरोसीन की मात्रा 2750 लीटर ही होता है। प्राधिकार पत्र में जो वितरण स्थल अंकित किया है, वह अलग दर्ज है। मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन नहीं पाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि दौराने जांच डीलर द्वारा 4 स्टॉक रजिस्टर पेश किये लेकिन वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये हैं। बिल संख्या 5545 व 5546 दिनांक 29.10.2015 का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं पाया गया है, जिसके अनुसार डीलर के पास 2773 लीटर केरोसीन होना चाहिए था। जबकि उपलब्ध ड्रम में केरोसीन की मात्रा 2750 लीटर ही होता है। प्राधिकार पत्र में जो वितरण स्थल अंकित किया है, वह अलग दर्ज है। मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन नहीं पाया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 को कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

7. अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 22 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner